



CARA दिशानिर्देशों के मुख्य प्रावधान (2017)

भारत में दत्तक ग्रहण को CARA द्वारा नियंत्रित किया जाता है - नवीनतम 2017 CARA दिशानिर्देशों के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- एक विवाहित जोड़े, अकेला पुरुष या अकेली महिला (अविवाहित, विधुर, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा) एक 18वर्ष की आयु वाले बच्चे को गोद ले सकते हैं
- एक एकल पुरुष केवल एक लड़का गोद ले सकता है जबकि एक अकेली महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है.
- गोद लेने वाली बच्चे की उम्र माता पिता की मिलीजुली उम्र पैर निर्भर करती है.
 - 90 वर्ष की अधिकतम संगत आयु वाले माता-पिता 4 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं
 - 100 वर्ष की अधिकतम संगत आयु वाले माता-पिता 4 से 8 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं
 - 110 वर्ष की अधिकतम संगत आयु वाले माता-पिता 8से 18 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं
- बच्चे और माता-पिता के बीच न्यूनतम उम्र का अंतर 25 वर्ष होना चाहिए
- माता पिता को CARA में ऑनलाइन रजिस्टर करने की आवश्यकता है
- दर्ज करने के दौरान माता-पिता निम्नलिखित प्राथमिकताओं को इंगित कर सकते हैं
 - बच्चे की उम्र: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-18 वर्ष
 - बच्चे का लिंग: लड़के / लड़की / किसी भी लिंग
 - राज्य से अपनाने के लिए 3 प्राथमिकतायें या फिर पुरे भारत में कहीं से भी
 - बच्चे की श्रेणी: - सामान्य / भाई-बहन / विशेष आवश्यकताएं
- माता-पिता के पते के नजदीकी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी उनका जरिह अध्ययन करेगी
- उनके होम स्टडी पूरा होने के बाद ही माता-पिता सिर्फ बच्चे के रेफरल के पात्र होंगे
- माता-पिता के अनुसार, एक या अधिक रेफरल में 3 बच्चों की प्रोफाइल की पेशकश की जाएगी
- माता-पिता रेफरल में बच्चे के पूरे प्रोफाइल और मेडिकल इतिहास को देख सकते हैं।
- उसके बाद से माता-पिता 48 घंटों के भीतर एक बच्चा चुन सकते हैं
- आरक्षित होने पर, बच्चे को 20 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। जो माता-पिता अरक्षित बच्चे को स्वीकार नहीं करते, या जो माता-पिता, 3 प्रोफाइल में से किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, वह प्रतीक्षा सूची के अंत में पहुँच जाते हैं.
- एडॉप्शन के लिए माता पिता को कुल राशी 46,000 देय है . इस शुल्क में होम अध्ययन के लिए खर्च, कानूनी सेवाओं इत्यादि शामिल हैं.